सेवा में

सहायक रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
इलाहाबाद ।

विषय संस्था–सांईं ग्रामोत्थान सेवा समिति, ग्राम व पो0 मनगढ, कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ, के पंजीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त सस्था के पंजीकरण हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं शुल्क आपके कार्यालय में जमा कर रहा हूँ ।

अत श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त संस्था का पंजीकरण कर प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। महान कृपा होगी ।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
प्रबन्धक / सचिव
सांईं ग्रामोत्थान सेवा समिति,
ग्राम व पो0 मनगढ, कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ

संलग्न–
1– स्मृति पत्र एव नियमावली
2– शपथ पत्र ।
3– निवास का प्रमाण पत्र।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹ 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AB 184335

शपथ–पत्र

समक्ष सहायक निबन्धक,
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स,
इलाहाबाद ।

शपथ पत्र मिन्जानिब रोहित सिंह पुत्र स्व0 कौशलेन्द्र बहादुर सिंह निवासी–ग्राम व पो0 मनगढ़, जनपद–प्रतापगढ़।

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि:–

1. यह कि संस्था–सांई ग्रामोत्थान सेवा समिति, ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ, की प्रबन्धसमिति में प्रबन्धक/सचिव के पद पर हूँ।
2. यह कि उपरोक्त संस्था का पंजीयन कराना चाहता हूँ ।
3. यह कि संस्था पहली बार पंजीकृत करायी जा रही है । इस नाम की संस्था पूर्व में पंजीकृत नहीं है। यदि उपरोक्त नाम की कोई संस्था पूर्व में पंजीकृत पाई गयी तो मैं अपनी संस्था का नाम परिवर्तित कर लूगां जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । यह संस्था पहली बार पंजीकृत करायी जा रही है ।
4. यह कि संस्था सामाजिक कार्य करेगी एवं संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य अपने निजी लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करेगें।
5. यह कि संस्था किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित नहीं है ।
6. यह कि प्रस्तुत शपथ पत्र के साथ स्मृति पत्र में नाम, पिता का नाम, पता, पद, व्यवसाय तथा स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली में सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों के द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं वर्णित बातें सभी सत्य है ।

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथपत्र की धारा 1 से धारा 6 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास में सत्य है इसमें न तो कुछ छिपाया गया है न ही कुछ असत्य है ।

verified

अतः ईश्वर मेरी सहायता करें ।

दिनांक

Rajesh ... Singh
Notary
Allahabad

रोहित सिंह
शपथकर्ता

R. B. Singh
Advocate
Civil Court, Allahabad

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : **सांई ग्रामोत्थान सेवा समिति ।**
2. संस्था का पता : **ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ ।**
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।**
4. <u>संस्था का उद्देश्यः</u>

1. शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना।शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना तथा शिक्षा का बहुमुखी विकास हेतु–हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों इन्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक (महाविद्यालयों), पुस्तकालयों एवं वाचनालयों तथा उर्दू, अरबी व फारसी भाषाओं के लिए मकतब, मदरसा की स्थापना करना तथा उसको संचालित करना एवं उनका प्रबन्ध कार्य करना।
2. अग्निकांड, बाढ़, सूखा अतिवृष्टि आदि संकट कालीन अवस्था में सरकार में एवं दानशील संस्थाओं से सहायता प्राप्त करके तत्कालीन सहायता पहुँचना साधनहीन निर्धन विधार्थियों को तथा गरीब विधवा अनाथों एवं सामाजिक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर उन्हें सहायता देना।
3. भारतीय जन्ता का शैक्षिक बौद्धिक एवं मानसिक स्तर ऊचा उठाने का प्रयास करना छात्रों व छात्राओं की शारीरिक मानसिक व बौद्धिक उन्नति करना। एड्स के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार करना।
4. खादी विचार के आधार पर विधालय पुस्तकालय की स्थापना तथा उनका सुचारू रूप से संचालन करना।
5. स्वास्थय एवं मनोरंजन के लिए चलचित्र, एकाको, को प्रदर्शन गायनवादन, कला प्रशिक्षण बाल समाज कल्याण व्यायाम व खेलकूद का प्रशिक्षण देना। कटाई बुनाई महिला शिल्पकला केन्द्र की स्थापना प्रशिक्षण देना, छात्रों का आधुनिक ढंग से कृषि कार्यो का प्रशिक्षण देना।
6. पिछड़ी व दलित व समाज कल्याणकारों केन्द्रों की स्थापना व उनके उत्थान हेतु प्रशिक्षण देना तथा उद्देश्यों की प्रति हेतु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार वित्तीय संस्थान व व्याक्तियों से दान एवं अनुदान प्राप्त करना। मादक पदार्थ निर्व्सन केन्द्र की स्थापना करन।
7. जति धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष वैमनस्य की भावनाओं को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करन।
8. देश–विदेश एवं प्रदेश की समउद्देशीय संस्थाओं से सम्पर्क स्थपित करना सामाजिक कार्यें जैसे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पर्यटन स्थलो का सुधार व

व्यवस्था प्रदूषण निवारण, धार्मिक सद्भाव बढ़ाने का प्रसार, शिक्षा, गरीबी व विक्षवृत्ति उन्मूलन, वनरोपण, महिला एवं, बाल विकास की अनुसंधान छात्रावास की स्थापना आदि कार्यक्रमों को अपनाना एवं उन्हें क्रियान्वित करना अन्य ऐसे कार्य करना जिसमें समाज के स्तर में सुधार हो रोजगार को बढ़ावा अधिक सहायता पहुँचना।

9. सामूहिक कार्यें द्वारा सहायेगों भावनाओं का विकास करना, अनुदान ग्रामोधोग की स्थापना करना तथा समाज कल्याण आदि गांधीवादी दृष्टिकोण पैदा करना तथा ग्राम निर्वाण को प्रवृत्ति करना।

10. खादी तथा ग्रामोधोग आयोग एवं राज्य खादी बोर्ड केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणं से आर्थिक सहायता ऋण अनुदान प्राप्त करना।

11. राष्ट्र भाषा हिन्दी के महत्व को समझना एवं हिन्दी भाषा सहित्य के विकास के लिए युवकों को प्रेरित करना।

12 महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रो नारी निकेतनो शिल्प कला केन्द्रो बाल एवं शिशु पालन केन्द्रो कढाई नृत्य गायन वादन एकांकी नाटक आदि के शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना एवं उनका संचालन एवं प्रबन्ध करना।

13 विधवाओं बेसहारो बृद्धो में अनिवार्य रूप से सरकार से सहायता दिलने का प्रयास करना आदि ।

14 कृषि शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा आंगन बाड़ी ग्रामोद्योगिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को खेलना एवं उनका संचालन कार्य करना ।

15 समाज में सामाजिक सास्कृति आध्यात्मिक, मानसिक, चारित्रिक, साहित्यक, कलात्मक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रचार प्रसार एवं प्रयास करना।

16 वन्य एवं पर्यावरण स्वच्छता कार्यकम, पेयजल ट्राईसेम के अर्न्तगत विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण देना प्रचार एवं संचालन करना।

17 खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड खादी आयोग एवं ग्रामीण आयोग निदेशालय द्वारा संचालित समस्त प्रकार के कार्यकमो एवं योजनाओं को संचालित करना एवं उनका प्रचार प्रसार करना तथा उत्पादन एवं बिक्री करना तथा समस्त आय के उद्देशो की पूर्ति चैरिटेबल कार्यो में व्यय करना।

18 वाह्य आडम्बरों का खुलकर विरोध करना तथा ऐसे प्रभावों व आचराणों का त्याग करना व कराना जो समाज एवं स्त्री के विरूद्ध हो और वैज्ञानिक ढ़ग से जीवन में उपयोगी नयी विधियों का ज्ञान कराना ।

19 महिलाओं की सुख समवृद्धि बढाने हेतु महिलाओ के लिए बनाये गये नियमों में उत्पन्न अनियमियतताओं की तरफ सरकार का ध्यान केन्द्रित करना तथा दहेज प्रथा बाल विवाह सामजिक शोषण, छुआ छूत आदि बुराइयों को समाप्त करने के लिए उचित वातावरण तैयार करना ।

20 संकटकालीन परिस्थितियों जैसे – बाढ़, भूकम्प, अग्निकाण्ड, रेल व बस दुर्घटना, साम्प्रदायिक दंगों सहित विभिन्न प्रकार के आपदाओं में राहत कार्य करना तथा राहत कार्यो में सरकार से सहायता प्रदान करवाना ।

21 चिकित्सा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना योग्य चिकित्सकों द्वारा जनता को निःशुल्क परामर्श देना चिकित्सको द्वारा टीकारण जैसे टी टी हेपाटईटिस बी, डिपिथरिया बी. सी. जी. ओ. पी. बी. आदि करवाना निःशुल्क स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजना मूकवधिर विकलांग एवं अधंकरता निवारण कार्यक्रमों का जैसा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना समस्त आय के उद्देश्यों की पूर्ति चेरिटेबल कार्यो मे व्यय करना।

22 जन हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, उपचार करना, एवं समय समय पर आवश्यक दवायें मुहैया कराना ताकि सही उपचार हो सके एव चिकित्सीय आयामों की व्यवस्था करना तथा योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनाथालय, पुस्तकालय, छात्रावास, व्यायामशाला, वाचनाचल, पुस्तकालय, योगालय, साधना केन्द्र, विधवा आश्रम, शिशु पालन गृह, की स्थापना तथा संचालन करना ।

23 राष्ट्रीय अखण्डता को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्धता से युक्त निःशुल्क समाचार पत्रों का प्रकाशन करने का प्रयत्न करना, कैसर, एवं संक्रांमक रोगों से बचने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना । समाज में उपेक्षित जैसे – वैश्या वृत्ति के उन्मूलन में सरकार को सहयोग करना एवं हिंजडों (किन्नरों) के प्रति समाज का दृष्टिकोंण बदलने का प्रयत्न करना ।

24 समाज में बाल शोषण एवं बाल यौन शोषण के विरूद्ध लोगों में जन वेतना पैदा करना

25 जलीय एंव वनों में रहने वाले जीवों तथा जानवरों के मानवीय हिंसा से बचाने का प्रयत्न करना।

26 समाज में वृद्धों, बालकों तथा विधवाओं को भवनात्मक सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना।

27 समय–समय पर विचार गोष्ठी, सेमिनार, प्रदर्शनी, खेल कूद, सामान्य ज्ञान प्रतियोगताओं, भारत दर्शन आदि का आयोजन करना अदि।

28 सिंचाई एवं पेयजल के समाधान हेतु गॉव में और खेत का पानी खेत में संरक्षित करने के लिए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना खराब पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत करवाना ग्रामीण कुओं की सफाई करवाना तथा उनमे कीट नाशक दवाओं का प्रयोग करने का प्रयास करना।

29 पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों से जन सामान्य को अवगत करना तथा इससे बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगवानें की व्यवस्था करना।।

30 दहेज उन्मूलन हेतु प्रचार प्रयास करना तथा आर्थिक दृष्टिकोणों से गरीब लोगों के बालक बालिकाओं की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिलवानों का प्रयास करना।

31 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विकास/कल्याण हेतु कार्य करना।

32 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आयोग, कुटीर उद्योग निदेशालय, राज्य एवं केन्द्र सरकार, श्रम मन्त्रालयत्र, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत, संस्कृति विभाग, संगीत नाटक–एकेडमी तथा सांस्कृतिक केन्द्रों, कपार्ट, सिफ्सा, यूनिसेफ, सांसद निधि व विधायक निधि अन्य भारत सरकार/राज्य सरकार के विभागों से ऋण, चन्दा, अनुदान प्राप्त करना तथा उसकों संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति पर व्यय करना ।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है ।

क्र0स0	नाम तथा पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 त्रिभुवन सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ़	अध्यक्ष	" "
2	श्री बालेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कौशलेन्द्र बहादुर सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ़	उपाध्यक्ष	" "
3	श्री रोहित सिंह पुत्र श्री कौशलेन्द्र बहादुर सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ़	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवा
4	श्री सी0 एल0 सिंह पुत्र स्व0 जमुना सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ	उपप्रबन्धक / उपसचिव	" "
5	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह	ग्राम शाहपुर पो0 त्योथर, जनपद–रीवा (म0प्र0)	कोषाध्यक्ष	" "
6	श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री सी0 एल0 सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ़	सदस्य	" "
7	श्रीमती रोहिणी देवी पत्नी श्री कौशलेन्द्र बहादुर सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ़	सदस्य	" "
8	श्रीमती प्रिया सिंह पत्नी श्री सर्वेश्वर सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ़	सदस्य	" "
9	श्री सर्वेश्वर सिंह पुत्र स्व0 कौशलेन्द्र बहादुर सिंह	ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा जनपद – प्रतापगढ़	सदस्य	" "

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है

दिनाक : 10/6/2021

रोहित सिंह (C.L. Singh) बालेन्द्र सिंह शैलेन्द्र प्रताप सिंह
सुभाष रोहिणी देवी प्रिया सिंह
रणजीत सिंह

नियमावली

1. संस्था का नाम : **सांईं ग्रामोत्थान सेवा समिति ।**
2. संस्था का पता : **ग्राम व पो0 मनगढ़, कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ ।**
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।**
4. संस्था का उद्देश्य : **स्मृति पत्र के अनुसार होगें**
5. संस्था की सदस्यता एवं उनके वर्ग :

(अ) आजीवन सदस्यः– जो व्यक्ति संस्था को रू0 1000/– एक मुश्त या इतने ही मूल्य की वस्तु दान स्वरूप देता है तो वह संस्था का आजीवन सदस्य रहेगा ।

(ब) सामान्य सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को वार्षिक सदस्यता शुल्क रू0 100/– देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य रहेगा ।

6. सदस्यता की समाप्ति :–
   1. मृत्यु हो जाने पर ।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
   3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
   4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार हो जाने पर।
   5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
   6. अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर चारित्रिक दोष के कारण दण्डित होने पर ।
   7. लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित रहने पर
   8. संस्था की गतिविधियों में योगदान न करने पर ।
7. संस्था के अंग :–
   1. साधारण सभा ।
   2. प्रबन्धकारिणी समिति ।
8. साधारण सभा :–

गठनः सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

बैठकः सामान्य बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधिः सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाऐगी ।

गणपूर्ति : साधारण सभा की बैठक का कोरम 2/3 होगा ।

वार्षिक अधिवेशन की तिथिः साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जाएगी

साधारण सभा के कर्तव्यः
1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
2. नियमों व विनियमों में 2/3 के बहुमत से संशोधन व कार्यवाही करना।
3. वार्षिक आय–व्यय बजट को पारित करना ।
4. अन्य वे निर्णय लेना जिसे प्रबन्धकारिणी समिति न ले सके ।
5. प्रबन्धकारिणी के क्रिया–कलापों की पुष्टि करना तथा आवश्यकतानुसार मार्ग दर्शन देना ।

प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन :– साधारण सभा के द्वारा प्रबन्धसमिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक/सचिव एक, उपप्रबन्धक/उपसचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, एवं 4 सदस्य होगें। इस प्रकार कुल संख्या 9 होगी

बैठकें : प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में चार होगी । विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 24 घंटे पूर्व देकर बुलाई जा सकती है ।

गणपूर्ति :– कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित होगी बहुमत का निर्णय ही सर्वमान्य होगा ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि : संस्था में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिये की जायेगी ।

प्रबन्कारिणी समिति के कर्तव्यः–

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना ।
2. संस्था के विवादों को सुलझाना ।
3. संस्था के विकास हेतु प्रयास करना ।
4. संस्था के किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों को आतिरिक्त जिम्मेदारी सौपना।
5. संस्था की उपसमितियों को खोलना ।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग, खादी बोर्ड राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सासंद निधि, विधायक निधि, एम0एल0सी0 निधि, एवं अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं व अन्य से दान. अनुदान प्राप्त करना तथा उसको उद्देश्यों के चैरिटेबुल की पूर्ति पर व्यय करना।

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

1 अध्यक्ष :

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना और बैठकों की स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णयक मत देना ।
1. त्याग पत्र स्वीकार करना ।

2 उपाध्यक्ष :

संस्था के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यो को सम्पादित करना ।

3 प्रबन्धक/सचिव :

1. संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा ।
2. समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों को सुरक्षित अभिरक्षा तथा विनियोजन का प्रबन्ध करना ।
3. अनुशासनहीनता बरतने वाले सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

4. कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति, सेवामुक्ति एवं निलम्बन के आदेश निर्गत करने का अधिकार होगा।
5. संस्था में समस्त कार्यो के मुख्यपालक के रूप में कार्य करना ।
6. कर्मचारियों की वेतनवृद्धियों तथा देय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना तथा अन्य सेवाओं तथा सामग्रियों के लिये भुगतान स्वीकृत करना
7. संस्थान से संबंधित समस्त अनुबन्धों तथा संस्थान की चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित संवैधानिक, समस्त अभिलेखों तथा अन्य लेखों पर हस्ताक्षर करना ।
8. संस्थान के मामलों से सम्बन्धित समस्त विधिक कार्यवाहियों मे प्रतिनिधित्व करना और उन कार्यवाहियों एवं मामलों में उनकी ओर से अभिकथन करना तथा उन्हें सत्यापित करना ।
9. संस्था की बैठक और संस्था के प्रबन्ध तथा प्रशासन से सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार रजिस्टरों तथा पुस्तकों का अभिलेखन करना ।
10. समिति के सदस्यों की नियुक्ति करना एवं निष्कासन करना ।

4 उपप्रबन्धक / उपसचिव :

संस्था के प्रबन्धक / सचिव की अनुपथिति में उनके कार्यो को सम्पादित करना ।

5. कोषाध्यक्ष :
   1. हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना ।
   2. संस्था के विकास एवं उन्नति के लिए कार्य करना ।
   3. संस्था के हितार्थ कार्य करना ।

11 संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्थान के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया, परिवर्तन एवं परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा की जायेगी ।

12 संस्था का कोष :–

संस्था का कोष किसी भी बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा खाते का संचालन प्रबन्धक / सचिव एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित होगा

13 संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण :–

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

14 संस्था क द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः–

संस्था द्वारा होने वाले पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक / सचिव द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख :–
   1. कार्यवाही रजिस्टर ।
   2. सदस्यता रजिस्टर ।
   3. स्टाक रजिस्टर ।
   4. कैश बुक ।

16. विघटन : संस्था के विघटन व विघटित संपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक : 10/6/2011 सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर